

**वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ अवधारण याचिका का
संक्षिप्त हिन्दी संस्करण**

01. पृष्ठ भूमि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 सपटित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्तव्य, सम्पत्ति एवं दायित्वों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम 2008 लागू किया गया जिसे कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 द्वारा अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित किया गया है।

उक्त अंतरण योजना के तहत जो कि 01 जनवरी 2009 से प्रभावशील है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी विद्युत वितरण कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक विद्युत वितरण अनुज्ञप्ति धारक है जिसकी विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत दरो का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों एवं विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारण किया जाता है।

2. वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं हेतु प्रचलित विद्युत दरे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 23.05.2015 को आदेशित टैरिफ आदेश के अनुसार लागू है जो कि 01.06.2015 से प्रभावशील है।
3. विद्युत अधिनियम 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकलन कर आयोग के समस्त टैरिफ अवधारण याचिका प्रस्तुत करना प्रावधानित है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 64 एवं 86(1) (a) में निहित प्रावधानों एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये "बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु शर्त एवं निबन्धन" विनियम 2015 में विहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2014-15 हेतु प्रोजेक्शनल ट्रू अप याचिका, 05 वर्ष की नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष अर्थात् FY 17 से FY 21 के लिये वर्षवार कुल राजस्व आवश्यकता, वर्तमान टैरिफ एव दरों पर आधारित राजस्व एवं FY 17 के लिये राजस्व अंतर का विवरण सहित उक्त अंतर एवं FY 17 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु टैरिफ का निर्धारण संबंधी याचिका माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

याचिका कर्ता ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियम के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों से निष्कपट चेष्टा की है। तथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति के याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदानुसार याचिका संशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करे।

विशेष टीप : (प्रस्तावित याचिका का हिन्दी रूपांतरण हितधारकों की सुलभता के लिये किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका मान्य होगी)

1. वर्ष 2014-15 के लिये प्रोविजनल टू-अप का विवरण

(i) वितरण हानि

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी वितरण हानि को कम करने हेतु गंभीर एवं समर्पित है। जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के भार वृद्धि एवं विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के उपरांत भी वितरण हानि में उत्तोरत्तर कमी हो रही है।

वर्ष	2015-16
माननीय नियामक आयोग द्वारा वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य	27%
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्राप्त वितरण हानि	25.33%

(ii) वर्ष 2014-15 के लिये विद्युत की उपलब्धता एवं क्य लागत का विवरण :-

स. क्र.	विवरण	FY-15 (12.07.14 के टैरिफ आदेश के अनुसार)			FY-15 (वास्तविक)		
		मात्रा मिलियन यूनिट में	राशि करोड़ में	दर प्रति यूनिट में	मात्रा मिलियन यूनिट में	राशि करोड़ में	दर प्रति यूनिट में
(A)	केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से						
1	एन.टी.पी.सी.	7453.64	1998.31	2.68	7097.11	2108.54	2.97
2	एन.टी.पी.सी.सेल	335.96	144.41	4.30	227.71	108.46	4.76
3	एन.पी.सी. मर्यादित	276.21	82.62	2.99	331.66	97.33	2.93
4	अन्य	16.64	1.33	0.80	171.37	67.01	3.91
	योग (A)	8082.45	2226.67	2.75	7827.85	2381.35	3.04

(B)	राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से						
5	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी	20403.54	4691.15	2.30	14571.11	3685.79	2.53
6	ट्रेडर्स/छ.ग. राज्य ट्रेडिंग कंपनी/अन्य से	0	0	0	100.03	30.19	3.02
7	केप्टिव/स्वतंत्र विद्युत ईकायो से	38.56	10.02	2.60	566.15	139.42	2.46
8	रियायती पॉवर	718.24	136.47	1.90	321.40	61.84	1.92
9	बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों से	659.64	372.63	5.65	630.45	370.05	5.87
10	नवीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्रों से	132.47	66.24	5.00	10.69	9.19	8.59
11	गैर परम्परागत उर्जा प्रमाण पत्र का क्रय	-	88.11	-	-	-	-
12	लघु जल विद्युत संयंत्रों से	330.32	139.08	4.21	13.50	6.26	4.64
	योग (B)	22282.77	5503.70	2.47	16213.33	4302.74	2.65
(C)	पारेषण लागत एवं अन्य लागत						
10	अंतरराज्यीय पारेषण लागत	-	258.73	-	-	266.16	-
11	अंतः राज्यीय पारेषण लागत	-	765.64	-	-	679.37	-
12	पारेषण अन्य प्रभार का लागत	-	0.00	-	-	63.05	-
13	अनियत आदान प्रदान	-	0.00	-	-	91.72	
14	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का लागत	-	14.15	-	-	19.06	-
	योग (C)	-	1038.52	-	-	1119.36	

	सकल विद्युत क्रय लागत	30365.22	8768.89	2.89	24041.18	7801.17	3.24
	घटाये अंतरराज्यीय विद्युत विक्रय से प्राप्त आय	6556.85	2393.24	3.65	1297.65	434.13	3.35
	शुद्ध विद्युत क्रय लागत	23808.37	6375.65	2.68	22743.53	7367.04	3.24

(iii) प्रोविजनल खाते के अनुसार टूअप किये जाने पर वर्ष 2014-15 हेतु
वाषिक राजस्व आवश्यकता का विवरण :-

क्र.	विवरण	टैरिफ आदेश दि.12.07.13 के अनुसार	टैरिफ आदेश दि. 12.06.14 के अनुसार	वास्तविक व्यय	अंतर
1	विद्युत क्रय लागत	4657.61	5337.13	6339.39	(1002.26)
2	अंतरराज्यीय पारेषण लागत (पीजीसीआईएल)	275.59	258.73	266.16	(7.43)
3	अतः राज्यीय पारेषण लागत(अन्य प्रभार	-	-	63.05	63.05
4	अन्तःराज्यीय पारेषण लागत	765.64	765.64	679.37	86.27
5	राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	14.15	14.15	19.06	(4.91)
6	कर्मचारी लागत			683.39	
7	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	852.91	852.91	121.38	(76.49)
8	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय			124.63	
9	निवृत्ति वेतन	186.75	186.75	186.75	-
10	अभिरूचि एवं वित्तीय प्रभार	144.79	39.15	106.14	(166.99)
11	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर ब्याज	-	105.63	83.70	21.93
12	क्रियाशील पुंजी पर ब्याज	-	-	-	-
13	अवमूल्यन	77.71	77.71	152.77	(75.06)

14	युक्तिसंगत लाभ (अंश पूंजी पर लाभ)	152.66	152.66	234.98	(82.32)
15	आयकर	-	-	-	-
16	डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण	67.72	67.72	-	(67.72)
17	अन्य जमा/पूर्व अवधि का व्यय	-	-	5.32	5.32
(A)	कुल लागत	7195.53	7858.18	9066.09	(1207.09)
18	गैर राजस्व आय	234.83	234.83	210.19	(24.64)
19	उपभोक्ता प्रतिभूति पर आय	63.28	63.28	-	(63.28)
20	लघु सावधि ओपन एक्सेस	125.00	125.00	58.53	(66.47)
B	कुल गैर राजस्व आय	423.11	423.11	268.72	(154.39)
21	वितरण हानि में कमी के कारण हुई वृद्धि में अनज्ञप्ति धारक का हिस्सा	-	-	61.67	61.67
(C)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	6772.42	7435.07	8859.05	1423.98

(iv) वर्ष 2014-15 के लिये स्टेण्ड एलोन अधिशेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र.	विवरण	12 जून-2014 के टैरिफ आदेश के अनुसार	वर्ष -2015
1	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	7300.27	8859.05
2	वर्तमान टैरिफ से अनुमानित राजस्व	7302.72	7092.34
3	अनुमानित (कमी)/अधिशेष	2.45	(1766.70)

प्रार्थना :-

उपरोक्तानुसार वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये 1766.7 करोड़ की राजस्व कमी के लिये अनंतिम टू-अप का प्रस्ताव मान.आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

2. **FY 16-17 से FY 20-21 के लिये वर्षवार वार्षिक राजस्व आवश्यकता**
वर्तमान दर पर विद्युत आपूर्ति से राजस्व में कमी एवं **FY 17 तक राजस्व**
के कुल कमी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) नियंत्रण अवधि (05 वर्ष) के लिये वर्षवार, श्रेणीवार प्रस्तावित विद्युत विक्रय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	श्रेणी	FY-17	FY-18	FY-19	FY-20	FY-21
	निम्न दाब					
1	बी.पी.एल. के साथ घरेलू	5490.78	6120.77	6823.05	7605.91	8478.59
2	गैर घरेलू (सामान्य टैरिफ)	944.55	1054.81	1177.94	1315.45	1469.00
3	गैर घरेलू (मांग आधारित टैरिफ)	17.96	20.06	22.40	25.02	27.94
4	कृषि (मीटरीकृत)	3248.63	3568.30	3919.42	4305.09	4728.71
5	कृषि संबद्ध उपयोग	20.85	23.61	26.73	30.26	34.25
6	निम्न दाब औद्योगिक	6600.19	650.87	711.61	784.36	871.51
7	सार्वजनिक उपयोगिता	370.53	424.05	485.30	555.40	635.63
8	अस्थायी कनेक्सन	581.31	639.44	703.38	773.72	851.09
A	योग (निम्न दाब)	11274.81	12501.92	13869.84	15395.21	17096.73
	अति उच्च दाब उपभोक्ता					
1	रेल्वे कर्षण	938.74	977.30	1017.44	1059.24	1102.74
2	भारी उद्योग	1986.07	2180.31	2394.41	2630.49	2890.86
3	स्टील उद्योग	273.41	287.08	301.44	316.51	332.34
(B)	योग (अति उच्च दाब)	3198.23	3444.69	3713.30	4006.24	4325.94
	उच्च दाब उपभोक्ता					
1	स्टील उद्योग	3401.51	3571.58	3750.16	3937.67	4134.55
2	खदान एवं सीमेंट उद्योग, अन्य एवं प्रयोजन गैर औद्योगिक	1768.53	1916.83	2081.65	2265.09	2469.53

3	लो लोड फेक्टर उद्योग	394.04	494.49	620.53	778.71	977.21
4	घरेलू सिंचाई एवं कृषि	246.69	265.88	289.21	317.89	353.52
5	सार्वजनिक जल प्रदाय	67.36	73.21	79.57	86.48	93.99
6	स्टार्ट अप टैरिफ	29.55	30.56	31.61	32.70	33.82
7	निर्माण संबंधित उद्योग	0.63	0.70	0.77	0.84	0.93
(C)	योग (उच्च दाब)	5908.30	6353.24	6853.50	7419.38	8063.55
(D)	महायोग (निम्न+उच्च+अति उच्चदाब)	20381.34	22299.85	24436.64	26820.83	29486.22

(ii) नियंत्रण अवधि (05 वर्ष) के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	FY-17	FY-18	FY-19	FY-20	FY-21
1	विद्युत क्रय लागत	6439.71	8566.17	9906.12	11334.13	13025.52
2	अर्तराज्यीय पारेषण लागत (पीजीसीआईएल)	341.63	548.35	616.69	622.27	627.85
3	अतः राज्यीय पारेषण लागत(अन्य प्रभार	63.05	63.05	63.05	63.05	63.05
4	अन्तःराज्यीय पारेषण लागत	924.89	1104.50	1289.63	1369.84	1475.29
5	राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	13.30	14.47	15.90	17.40	18.84
6	कर्मचारी लागत	806.52	879.49	959.07	1045.85	1140.48
7	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	139.38	148.81	158.87	169.63	181.10

8	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	126.17	134.71	143.82	153.56	163.95
9	निवृत्ति वेतन	239.66	263.62	289.98	318.98	350.88
10	अभिरुचि एवं वित्तीय प्रभार	132.52	142.59	150.50	152.44	147.83
11	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर ब्याज	115.95	127.55	140.31	154.34	169.77
12	क्रियाशील पूंजी पर ब्याज	-	-	-	-	-
13	अवमूल्यन	194.87	223.49	252.27	276.03	293.75
14	युक्तिसंगत लाभ (अंश पूंजी पर लाभ)	286.28	321.01	355.72	382.61	400.57
15	आयकर					
16	डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण	102.30	111.89	122.69	134.92	148.81
17	अन्य जमा/पूर्व अवधि का व्यय					
(A)	कुल लागत	9926.24	12649.69	14464.34	16195.05	18207.69
18	गैर राजस्व आय	254.33	279.76	307.74	338.51	372.36
19	उपभोक्ता प्रतिभूति पर आय	-	-	-	-	-
20	लघु सावधि ओपन एक्सेस	70.82	77.90	85.69	94.26	103.69
B	कुल गैर राजस्व आय	325.15	357.66	393.43	432.77	476.05
21	वितरण हानि में कमी के कारण हुई वृद्धि में अनज्ञप्ति धारक का हिस्सा	-	-	-	-	-
(C)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	9601.09	12292.03	14071.21	15762.28	17731.64

(iii) वर्तमान दर पर विद्युत आपूर्ति से राजस्व का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	श्रेणी	FY-17	FY-18	FY-19	FY-20	FY-21
	निम्न दाब					
1	बी.पी.एल. के साथ घरेलू	1973.05	2200.24	2453.55	2735.99	3050.89
2	गैर घरेलू (सामान्य टैरिफ)	641.80	720.24	808.28	907.14	1018.28
3	गैर घरेलू (मांग आधारित टैरिफ)	11.08	12.43	13.93	15.57	17.45
4	कृषि (मीटरीकृत)	1054.86	1158.65	1272.64	1397.84	1535.36
5	कृषि संबद्ध उपयोग	9.70	10.99	12.42	14.04	15.91
6	निम्न दाब औद्योगिक	177.06	301.92	331.64	367.15	409.59
7	सार्वजनिक उपयोगिता	152.32	174.21	199.27	227.91	260.69
8	अस्थायी कनेक्सन	310.68	341.75	375.93	413.53	454.89
A	योग (निम्न दाब)	4430.55	4920.43	5467.66	6079.17	6519.97
	अति उच्च दाब उपभोक्ता					
1	रेल्वे कर्षण	561.81	580.09	599.12	618.94	639.57
2	भारी उद्योग	1308.91	1422.01	1545.87	1682.36	1832.00
3	स्टील उद्योग	170.27	180.48	191.38	202.98	215.31
(B)	योग (अति उच्च दाब)	2040.99	2182.57	2336.37	2504.27	2686.88
	उच्च दाब उपभोक्ता					
क्र.	श्रेणी	2390	2739	3176	3734	4448
1	स्टील उद्योग	1950.41	2047.76	2150.32	2257.91	2370.75
2	खदान एवं सीमेंट उद्योग, अन्य एवं प्रयोजन गैर औद्योगिक	1236.77	1349.78	1475.12	1615.00	1770.66
3	लो लोड फेक्टर उद्योग	342.45	443.81	576.11	749.34	976.72
4	घरेलू सिंचाई एवं	138.86	150.19	163.76	180.95	202.10

	कृषि					
5	सार्वजनिक जल प्रदाय	38.27	42.14	46.23	50.84	55.97
6	स्टार्ट अप टैरिफ	51.01	51.90	52.84	53.83	54.87
7	अक्षय ऊर्जा संबंधित उद्योग	0.69	0.72	0.75	0.79	0.83
8	अक्षय ऊर्जा संबंधित उद्योग	-	-	-	-	-
(C)	योग (उच्च दाब)	3758.46	4086.31	4465.13	4908.64	5431.40
(D)	महायोग (निम्न+उच्च+अति उच्चदाब)	10230.00	11189.32	12269.16	13492.09	14881.34

(iv) FY-17 से FY-21 के लिये स्टैंड एलोन राजस्व अधिशेष/(कमी) का विवरण

व्यय में प्रक्षेपित वृद्धि के कारण अनुमानित मांग के लिये वर्तमान टैरिफ पर छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी को राजस्व में कमी होगी जिसका विवरण निम्नानुसार होगी :-

क्र.	विवरण	FY-17	FY-18	FY-19	FY-20	FY-21
1	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	9601.89	12292.03	14071.21	15762.28	17731.64
2	वर्तमान टैरिफ से अनुमानित राजस्व	10230.00	11189.32	12269.16	13492.09	14881.34
3	अनुमानित (कमी)/अधिशेष	628.91	(1102.72)	(1802.04)	(2270.19)	(2850.31)

(v) संचयी अधिशेष / (कमी) :

माननीय अपीलीय अभिकरण विद्युत नई दिल्ली के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित की अपील क्रमांक 308/2013 में जारी आदेश दिनांक 09.10.2015 के अनुपालन में वित्तीय प्रभाव की गणना के आधार पर वितरण कंपनी के राजस्व में अंतर का वर्षवार (FY-17 तक) विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र.	विवरण	FY-09	FY-10	FY-11	FY-12	FY-13	FY-14	FY-15	FY-16	FY-17
1	प्रारंभिक अधिशेष / (कमी)	559.97	912.81	1052.19	388.06	(1240.86)	(1797.64)	(1745.41)	(2170.75)	(2511.71)
2	वर्ष के लिये अधिशेष / (कमी)	342.99	92.67	(655.42)	(1452.68)	(147.08)	(1075.02)	(1766.70)	-	628.91
3	सीएसपीजीसीएल एवं सीएसपीटीसीएल के अधिशेष का अनुकूलन						954.87	428.53		
4	शासकीय अनुदान							465.00		
5	टैरिफ आदेश में कमी का अनुकूलन						488.64	758.74		
6	अपीलीय अभिकरण के आदेश के प्रभाव में अतिरिक्त दावा / अधिशेष में कमी	12.37	66.69	88.63	124.19	201.00	96.89	63.28	51.06	
7	अंतिम अधिशेष / (कमी)	890.59	938.78	308.14	(1188.81)	(1588.94)	(1526.04)	(1923.12)	(2221.81)	(1882.81)
8	ब्याज दर (प्रतिशत में)	12.25	12.25	11.75	13.00	14.75	13.20	13.50	13.20	13.20
9	प्रतिबंधन लागत (FY-17 के लिये)	22.21	113.41	79.92	(52.05)	(208.70)	219.36	(247.63)	(289.91)	(145.02)
10	कुल अधिशेष / (कमी)	912.81	1052.19	388.06	(1240.86)	(1797.64)	(1745.41)	(2170.75)	(2511.71)	(2027.83)

तदानुसार वित्तीय वर्ष 2017 की स्थिति में कुल राजस्व में 2027.83 करोड़ की कमी होगी जिसमें माननीय अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 09.10.2015 एवं वर्ष 2014-15 के अनंतिम टू अप का प्रभाव सम्मिलित है।

प्रार्थना :-

(अ) माननीय नियामक आयोग से निवेदन है कि वितरण कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होने वाली सब्सिडी यदि कोई हो तो, एवं माननीय अपीलेंट ट्रिब्यूनल के आदेशों के परिपालन के कारण होने वाले परिवर्तन को समाहित करने के पश्चात राजस्व अन्तर को मान्य किया जावे।

(ब) FY 16-17 तक रू. 2027.83 करोड़ की राजस्व कमी सहित प्रथम वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु FY 16-17 में समस्त उपभोक्ता श्रेणी के लिये लागू वर्तमान टैरिफ में राष्ट्रीय टैरिफ नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर वृद्धि प्रस्तावित है।

याचिका कर्ता

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य)
छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित
चतुर्थ तल, विद्युत सेवा भवन
डंगनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

CSPDCL

वर्ष 2014–15 हेतु प्रोविजनल ट्रू अप याचिका ; 05 वर्ष की नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष अर्थात FY 17 से FY 21 के लिये वर्षवार कुल राजस्व आवश्यकता ; वर्तमान टैरिफ एव दरों पर आधारित राजस्व एवं FY 17 के लिये राजस्व अंतर का विवरण सहित उक्त अंतर एवं FY 17 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु टैरिफ का निर्धारण संबंधी याचिका

रु.50 /—